वबा से फ़रार

अज़ क़लम:

इमामे अहले सुन्नत,

हिंदी:

नबीरा -ए- आला हज़रत, शहज़ादा -ए- क़मरुल उलमा

मौलाना उमर रज़ा ख़ान

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

अज़ क़लम:

इमामे अहले सुन्नत,

आला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه

हिंदी:

नबीरा -ए- आला हज़रत, शहज़ादा -ए- क़मरुल उलमा

मौलाना उमर रज़ा ख़ान

क़ादरी नूरी बरेलवी

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

फ़ेहरिस्त

بسم الله الرحمن الرحيم

मसअला 85-93 :

अज़ क़स्बा नगराम ज़िला लखनऊ मुरसलहु
मौलवी मुहम्मद नफ़ीस साहिब वल्द जनाब मुहम्मद इदरीस साहब,
6 सफ़र 1325 हिजरी

उलमा ए शरीअत ए मुहम्मदिया का मसाइल ए ज़ैल में क्या हुक्म है:

(1) ताऊन के ख़ौफ़ से मक़ाम ए ख़ौफ़ से फ़िरार करना कैसा है?

(2) दर सूरत ए जवाज़ हदीस फ़िरार अनित ताऊन (जो बुख़ारी में अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ से मरवी है) के क्या माना होंगे?

(3) दर सूरत ए अदम ए जवाज़ फ़िरार अनित ताऊन किस दर्जे की मासियत है, कबीरा या सग़ीरा?

(4) गुनाह ए कबीरा या सग़ीरा पर इसरार करने वाला शरअन कैसा है?

(5) ताऊन से जान के ख़ौफ़ से फ़िरार करने वाले या फ़िरार की तरग़ीब देने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

(6) दर सूरत ए अदम ए जवाज़ ए फ़िरार अनित ताऊन, फ़िरार करने वाला और तरग़ीब देने वाला एक दर्जा में मासियत के मुरतकिब होंगे या कम ज़्यादा?

(7) मुसम्मा नाक़िल ताऊन से फ़िरार को ब मुक़ाबला ए हदीस ए हुरमत ए फ़िरार अनित ताऊन जाइज़ ही नहीं बल्कि बिला दलील ए शरई अहसन समझता है, शरअन वह कैसा है?

(8) ब मुक़ाबला ए हदीस ए सहीह के किसी सहाबी का क़ौल या फ़ेल जो मुख़ालिफ़ ए हदीस ए सहीह के हो, क्या उसूल ए अहकाम ए शरीअत के ऐतिबार से क़ाबिल ए तक़लीद या अमल होगा, क़ौली हदीस के मुक़ाबला में क्या सहाबी के फ़ेल को तरजीह दी जाएगी?

(9) ब ख़याल ए हिफ़्ज़ ए सेहत ब ख़ौफ़ ए ताऊन, ताऊनी आबादी से फ़िरार करके उसी के मुज़ाफ़ात में यानी आबादी से कम व बेश एक मील के फ़ासले पर चले जाना जो आबादी के अक्सर ज़रुरियात को पूरी करता हो जिसको फ़ना कहते हैं, क्या दाख़िल ए फ़िरार अनित ताऊन होगा जिसकी मुमानअत व हुरमत हदीस ए अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ से जो बुख़ारी जिल्द राबे बाब मा युज़करु फ़ित ताऊन में मरवी, साबित है, अगर यह ख़ुरूज दाख़िल ए फ़िरार अनित ताऊन होगा तो क्यों जबकि बुख़ारी जिल्द राबे बाब अज्रिस साबिरि फ़ित ताऊन में हज़रत आइशा रदि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि अगर किसी के गांव में ताऊन हो और वह अपने शहर में इसतिक़लाल से ठहरा रहे तो उसको अज्र शहीद का होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ की हदीस में शहर ए ताऊन से फ़िरार की मुमानअत है न यह कि शहर ए ताऊन के अंदर ख़ुरूज न किया जाए क्योंकि अगर शहर के अंदर भी ख़ुरूज की मुमानअत होती तो हदीस ए आइशा में सिर्फ़ इसतिक़लाल फ़िल बलद से अज्र ए शहादत न होता बल्कि इसतिक़लाल फ़िल बैत से होता और फ़ना में नमाज़ ए जुमुआह की इजाज़त से मालूम होता है कि फ़ना ए शहर भी शहर है पस शहर में ख़ुरूज करना क्योंकर दाख़िल ए फ़िरार होगा क्योंकि ब दलील ए इजाज़त ए जुमुआह दर फ़ना ए शहर, शहर साबित हो चुका है और फ़हवा ए हदीस ए आइशा से शहर के अंदर ख़ुरूज की मुमानअत साबित नहीं होती और अगर यह ख़ुरूज में दाख़िल न होगा तो क्यों जबकि मुसाफ़िर को मौज़ा ए इक़ामत की इमारात से निकलने पर फ़ौरन क़स्र वाजिब हो जाता है जैसा कि कुतुब ए फ़िक़्ह से साबित है जिसका मफ़हूम यह है कि शहर का इतलाक़ महज़ इमारात पर होता है न कि फ़ना ए इमारात पर और इस सूरत में हदीस ए आइशा का यह मफ़हूम होगा कि शहर की इमारात से ख़ुरूज न किया जाए पस अहदुल अमरैन के इख़्तियार करने से दूसरे का क्या

जवाब होगा, हदीस ए आइशा का सहीह मफ़हूम क्या होगा, सूरत ए अव्वल या आख़िर, हर एक सवाल का जवाब मुदल्लल व मुफ़स्सल मअ हवाला ए कुतुब इनायत फ़रमाइए।

अलजवाब :

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی حمدہ للنجاۃ من البلایا خیر ماعون و افضل الصلوۃ و السلام علی من جعلت شہادۃ امتہ فی الطعن و الطاعون و علی الہ و صحبہ الذین ہم لاماناتہم و عہدہم راعون فلا یفرون اذا لاقواوہم فی اعلاء کلمۃ اللہ ساعون و اللہ و رسولہ طواعون الی المعروف داعون و عن المنکر مناعون۔

ताऊन से फ़िरार गुनाह ए कबीरा है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

الفار من الطاعون کالفار من الزحف۔

ताऊन से भागने वाला ऐसा है जैसे जिहाद में काफ़िरों के मुक़ाबले से भाग जाने वाला।

رواہ الامام احمد بسند حسن و الترمذی و قال حسن غریب و ابن خزیمۃ و ابن حبان فی صحیحہما و البزار و الطبرانی و عبد بن حمید عن جابر بن عبد اللہ و احمد بسند صحیح و ابن سعد و ابو یعلی و الطبرانی فی الکبیر و فی الاوسط و ابونعیم فی فوائد ابی بکر بن خلاد عن ام المؤمنین الصدیقۃ رضی اللہ تعالی عنہم۔

और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जिहाद में कुफ़्फ़ार को पीठ देकर भागने वाले की निस्बत फ़रमाता है:

فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

वह बेशक अल्लाह के ग़ज़ब में पड़ा और उसका ठिकाना दोज़ख़ है और क्या बुरी जाए बाज़ गश्त है।

इमाम इब्न ए हजर मक्की ज़वाजिर अन इक़्तिराफ़िल कबाइर में फ़रमाते हैं:

الکبیرۃ التاسعۃ و التسعون بعد الثلث مائۃ الفرار من الطاعون۔

उसी में बाद ज़िक्र ए हदीस ए मज़कूर ब तख़रीज ए तिर्मिज़ी व इब्न ए हिब्बान वग़ैरहुमा फ़रमाया:

القصد بہذا التشبیہ انما ہو زجر الفار و التغلیظ علیہ حتی ینزجر و لا یتم ذلك الا ان کان کبیرۃ کالفرار من الزحف۔

मौलाना शेख़ ए मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमहु उल्लाहि तआला शरह ए मिशकात में फ़रमाते हैं:

ضابطہ در وباء ہمیں ست کہ در انجاکہ ہست نباید رفت و از انجاکہ باشد نباید گریخت اگرچہ گریختن در بعض مواضع مثل خانہ کہ در وے زلزلہ شدہ یا آتش گرفتہ یا نشستن در زیر دیوارے کہ خم شدہ نزد غلبہ ظن بہلاک آمدہ است اما در باب طاعون جز صبر نیامدہ مگر گریختن تجویز نیافتہ وقیاس ایں بر آں مردود و فاسد است کہ آنہا از قبیل اسباب عادیہ اند و ایں از اسباب وہمی

و بر ہر تقدیر گریختن از انجا جائز نیست و ہیچ جا وارد نشدہ و ہر کہ بگریز و عاصی و مرتکب کبیرہ و مردود ست نسأل اللہ العافیة۔

शरह ए मिशकात अल्लामा तय्यबी में ज़ेर ए हदीस ए मज़कूर है,

شبہ بہ ای بالفرار من الزحف فی ارتکاب الکبیرة۔

शरह ए मुअत्ता में है,

قال ابن خزیمة انہ من الکبائر التی یعاقب اللہ تعالی علیہا ان لم یعف۔

सग़ीरा पर इसरार उसे कबीरा कर देता है और कबीरा पर इसरार और सख़्त तर कबीरा। हदीस में है रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

لا صغیرة مع الاصرار۔

कोई गुनाह इसरार के बाद सग़ीरा नहीं रहता।

رواہ فی مسند الفردوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

फ़िरार की तरग़ीब देने वाला फ़िरार करने वाले से अशद वबाल में है, नफ़्स ए गुनाह में अहकाम ए इलाहीया से मुआरिज़ा व मुख़ालिफ़त की वह शान नहीं जो बर अक्स ए हुक्म ए शरअ नही अनिल मारूफ़ व अम्र बिल मुंकर में है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फ़रमाता है:

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْۢ بَعْضٍ یَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ لْمَعْرُوْفِ الی قولہ عزوجل وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ा औरतें आपस में एक हैं, बुराई का हुक्म देते और भलाई से मना करते हैं। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में दीनी बात पर एक दूसरे के मददगार हैं, भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं।

गुनहगार अपनी जान को गिरफ़्तार ए अज़ाब करता है और गुनाह की तरग़ीब देने वाला ख़ुद अज़ाब में पड़ा और दूसरे को भी अज़ाब में डालना चाहता है जितने उसकी बात पर चलते हैं सबका वबाल उस पर और उनके बराबर उस अकेले पर होता है।

रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ینقص ذلك من اجورھم شیئا و من دعا الی ضلالة کان علیہ من الاثم مثل اثام من

जो सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाए जितने उसकी पैरवी करें सबके बराबर सवाब पाए और उनके सवाबों में कुछ कमी न हो और जो

गुमराही की तरफ़ बुलाए जितने उसके कहे पर चलें सबके बराबर उस पर गुनाह हो और उनके गुनाहों में कुछ कमी न हो।	اتبعه لا ینقص ذلك من اثامهم شیئا۔

رواہ الائمۃ احمد و الستۃ الا البخاری عن ابی ھریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔

और जब ताऊन से फ़िरार कबीरा है तो लोगों को उसकी तरग़ीब देनी सख़्त तर कबीरा और दोनों फ़ासिक़ हैं और ग़ालिबन एलान भी नक़द ए वक़्त और फ़ासिक़ ए मोअ'लिन को इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज़ मकरूह ए तहरीमी। ग़ुनिया में है,

لو قدموا فاسقا یاثمون۔

रद्दुल मोहतार में है,

فی تقدیمہ للامامۃ تعظیمہ و قد وجب علیھم اھانتہ شرعا فھو کالمبتدع تکرہ امامتہ بکل حال بل مشی فی شرح المنیۃ علی ان کراھۃ تقدیمہ کراھۃ تحریم لما ذکرنا۔

ताऊन से फ़िरार को जो अहसन समझता है अगर जाहिल है और उसे मालूम नहीं कि अहादीस ए सहीहा उसकी तहरीम में वारिद हैं उसे तफ़हीम की जाए और अगर दानिस्ता हदीसों का इंकार करता है तो सरीह गुमराह है। शरह ए मुअत्ता लिल अल्लामतिज़ जरक़ानी में ज़ेर ए हदीस ए अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु दरबारा ए ताऊन है:

فیہ دلیل قوی علی وجوب العمل بخبر الواحد لانہ کان بمحضر جمع عظیم من الصحابۃ فلم یقولوا لعبد الرحمن انت واحد و انما یجب قبول خبر الکافۃ ما اضل من قال بھذا و اللہ تعالی یقول ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا و قریٔ فتثبتوا فلو کان العدل اذا جاء بنبأ تثبت فی خبرہ و لم ینفذ لاستوی مع الفاسق و ھذا خلاف القراٰن ام نجعل المتقین کالفجار قالہ ابن عبد البر۔

जिस अम्र में राए व इजतिहाद को दख़ल न हो उसमें क़ौल ए सहाबी दलील ए क़ौल ए रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है वरना जिस हदीस की मुख़ालिफ़त की अगर उसके रावी ख़ुद यह सहाबी हैं और मुख़ालिफ़त सिर्फ़ ज़ाहिर नस की है मसलन आम की तख़सीस या मुतलक़ की तक़यीद तो यह अस्र ए सहाबी उस हदीस ए मरफ़ूअ की तफ़सीर ठहरेगा और उसे इसी ख़िलाफ़ ए ज़ाहिर पर महमूल समझा जाएगा और मुख़ालिफ़त मुफ़स्सिर की है तो सरीह दलील है कि वह हदीस मंसूख़ हो चुकी, सहाबी को उसका नासिख़ मालूम था और अगर यह ख़ुद उसके रावी नहीं तो यह मामला अगर इस क़ाबिल न था कि उन सहाबी पर मख़्फ़ी रहता तो उनकी मुख़ालिफ़त उस रिवायत ए मरफ़ूआ के क़बूल में शुबह डालेगी वरना हदीस ही मरजह है जैसा कि ग़ैर सहाबा के क़ौल व फ़ेल पर मुतलक़न जब तक हद ए इज्मा तक न पहुंचे। मुसल्लमिस सुबूत में है:

روی الصحابی و حمل ظاھرا علی غیرہ کتخصیص العام فالحنفیۃ علی ما حمل لان ترک الظاھر بلا موجب حرام فلا یترکہ الا بدلیل قطعا و لو ترک نصاً مفسرا تعین علمہ بالناسخ فیجب اتباعہ و ان عمل بخلاف خبرہ غیرہ فان کان صحابیا فالحنفیۃ ان کان مما یحتمل الخفاء لا یضر او لا فیقدح و ان کان غیر صحابی و لو اکثر الامۃ فالعمل بالخبر اہ مختصراً۔

उसी में है:

الرازی منا و البردعی و البزدوی و السرخسی و اتباعهم قول الصحابی فیما یمکن فیه الرأی ملحق بالسنة لغیرہ لا بمثله و نفاہ الکرخی و جماعة و فیما لا یدرك بالرأی فعند اصحابنا اتفاق فله حکم الرفع اہ ملتقطا ۔

यह इजमाली कलाम है और नज़र ए मुजतहिद के लिए है और हदीस ए ताऊन इसी क़बील से है जिसका बाज़ बल्कि अक्सर सहाबा पर भी मख़फ़ी रहना जा ए अजब न था जैसा कि हदीस ए सहीहैन से साबित है कि जब अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु को राह ए शाम में ख़बर मिली कि वहाँ ताऊन है, सहाबा ए किराम में पहले मुहाजिरीन ए इज़ाम फिर अंसार ए किराम फिर मशाइख़ ए क़ुरैश मुहाजिरीन ए फ़तह ए मक्का को बुलाकर मशवरे लिए, सबने अपनी-अपनी राए ज़ाहिर की मगर किसी को इस बारे में इरशाद ए अक़दस ए सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालूम न था, न ख़ुद अमीरुल मोमिनीन के इल्म में था यहाँ तक कि हज़रत अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु कि उस वक़्त अपने किसी काम को तशरीफ़ ले गए थे, उन्होंने आकर इरशाद ए वाला बयान किया और उसी पर अमल किया गया।

यूँही सहीहैन की हदीस से साबित कि साद इब्न ए अबी वक़्क़ास रदि अल्लाहु तआला अन्हु अहदुल अशरतिल मुबश्शरा को यह इरशाद ए अक़दस कि जब दूसरी जगह ताऊन होना सुनो वहाँ न जाओ और जब तुम्हारे यहाँ पैदा हो तो वहाँ से न भागो, मालूम न था यहाँ तक कि हज़रत उसामा इब्न ए ज़ैद रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा ने कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब इब्नुल महबूब और साद रदि अल्लाहु तआला अन्हु के सामने के बच्चे हैं, उन्हें यह हदीस सुनाई बल्कि सहीहैन से यह भी साबित कि साद रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे सवाल करके इसका इल्म हासिल फ़रमाया,

فقد اخرجا عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیه انه سمعه یسأل اسامة بن زید ما ذا سمعت من رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الطاعون رجز ارسل علی بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه و اذ وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ۔

और उसके बाद ख़ुद इसे हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं,

ای یرسل ارسالا ثقة بروایة اسامة رضی الله تعالی عنه

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में बाद ज़िक्र ए हदीस ए उसामा रदि अल्लाहु तआला अन्हु है,

و حدثنیه وهب بن بقیة فذکر بسندہ عن ابراهیم بن سعد بن مالك عن ابیه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم بنحو حدیثهم ۔

तो दो एक सहाबा से जो इसका ख़िलाफ़ मरवी हुआ इत्तिलाअ ए हदीस से पहले था जैसे अम्र इब्न ए आस रदि अल्लाहु तआला अन्हु के ताऊन से बहुत ख़ौफ़ करते, लोगों को मुतफ़र्रिक़ हो जाने की राए दी, मुआज़ इब्न ए जबल रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने कि आलमुन नास बिल हलाल वल हराम व इमामुल उलमा यौमल क़याम हैं उनका रद ए शदीद किया और सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की और शरजील इब्न ए हसना रदि

अल्लाहु तआला अन्हु कातिब ए वही ने निहायत शिद्दत से रद किया और फ़िरार अनित ताऊन से नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मना फ़रमाना रिवायत किया, अम्र इब्न ए आस रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन रुजू फ़रमाई और उनकी तस्दीक़ की।

اخرج ابن خزیمۃ فی صحیحہ عن عبد الرحمن بن غنم قال وقع الطاعون بالشام فقال عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان ھذا الطاعون رجس ففروا منہ فی الاودیۃ و الشعاب فبلغ ذلک شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ فغضب و قال کذب عمرو بن العاص فقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و عمرو اضل من جمل اھلہ ان ھذا الطاعون دعوۃ نبیکم و رحمۃ ربکم و وفاۃ الصالحین قبلکم الحدیث و لفظ ابن عساکر عن عبد الرحمن بن غنم قال کان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حین احس بالطاعون فرق فرقاً شدیدا فقال یآیھا الناس تبددوا فی ھذہ الشعاب و تفرقوا فانہ قد نزل بکم امر من اللہ تعالی لا اراہ الا رجزا او الطوفان قال شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ قد صحابنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و انت اضل من حمار اھلک قال عمرو رضی اللہ تعالی عنہ صدقت قال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لعمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کذبت لیس بالطوفان و لا بالرجز و لکنھا رحمۃ ربکم و دعوۃ نبیکم و قبض الصالحین قبلکم الحدیث و رواہ الامام الطحاوی فی شرح معانی الاثار من حدیث شعبۃ عن یزید بن حمیر قال سمعت شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان الطاعون وقع بالشام فقال عمرو تفرقوا عنہ فانہ رجز فبلغ ذلک شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال قد صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسمعتہ یقول انھا رحمۃ ربکم و دعوۃ نبیکم و موت الصالحین قبلکم فاجتمعوا لہ و لا تفرقوا علیہ فقال عمرو رضی اللہ تعالی عنہ صدق و للحدیث طریق اخری عن شھر بن حوشب قال فیھا فقام شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال و اللہ لقد اسلمت و ان امیرکم ھذا اضل من جمل اھلہ فانظروا ما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وقع بارض و انتم بھا فلا تھربوا فان الموت فی اعناقکم و اذا کان بارض فلا تدخلوھا فانہ یحرق القلوب۔

बाज़ लोग इसे अमीरूल मोमिनीन रदि अल्लाहु तआला अन्हु की तरफ़ निस्बत कर देते हैं मगर अमीरूल मोमिनीन ख़ुद फ़रमाते हैं कि लोग गुमान करते हैं कि मैं ताऊन से भागा, इलाही मैं इस तोहमत से तेरे हाँ बराअत करता हूँ। इमाम अजल्ल तहावी रिवायत फ़रमाते हैं,

عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللھم ان الناس زعموا انی فررت من الطاعون و انا ابرأ الیک من ذٰلک ھذا مختصر۔

रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ताऊन से भागना हराम फ़रमाया, इसमें कोई तख़्सीस शहर व बैरुन ए शहर की नहीं, जाबिर रदि अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस इमाम अहमद व इमामुल अइम्मा इब्न ए ख़ुज़ैमा के यहाँ यूँ है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

ताऊन से भागने वाला ऐसा है जैसा जिहाद में कुफ़्फ़ार के सामने से	الفار من الطاعون کالفار من الزحف و

الصابر فیہ کالصابر فی الزحف۔

भागने वाला और ताऊन में ठहरने वाला ऐसा है जैसा जिहाद में सब्र व इस्तिक़लाल करने वाला।

उन्हीं की दूसरी रिवायत में है रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

الفار من الطاعون کالفار من الزحف و من صبر فیہ کان لہ اجر شھید۔

ताऊन से भागने वाला जिहाद से भागने वाले की तरह है और जो उसमें सब्र किए रहे उसके लिए शहीद का सवाब है।

उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदि अल्लाहु तआला अन्हा की हदीस इमाम अहमद की मुसनद में मिस्ल पारा ए अव्वल हदीस ए जाबिर है और इब्न ए साद के यहाँ यूँ है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

الفار من الطاعون کالفار من الزحف۔

ताऊन से भागना जिहाद से भाग जाने के मिस्ल है।

अहमद की दूसरी रिवायत यूँ है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

الطاعون غدۃ کغدۃ البعیر المقیم بھا کالشھید و الفار منھا کالفار من الزحف۔

ताऊन एक गिल्टी है जिस तरह ऊंट की वबा में उसके निकलती है जो उसमें ठहरा रहे वह शहीद के मिस्ल है और उससे भागने वाला जिहाद से भाग जाने वाले की तरह है

मुसनद अबू याला के लफ़्ज़ यूँ हैं रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

وخزۃ تصیب امتی من اعدائھم من الجن کغدۃ الابل من اقام علیھا کان مرابطا و من اصیب بہ کان شھیدا و الفار منہ کالفار من الزحف۔

ताऊन एक कूँचा है कि मेरी उम्मत को उनके दुश्मन जिनों की तरफ़ से पहुंचेगा जैसे ऊंट की गिल्टी जो मुसलमान उस पर सब्र किए ठहरा रहे वह उनमें से हो जो राह ए ख़ुदा में सरहद ए कुफ़्फ़ार पर बिलाद ए इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिए इक़ामत करते हैं और जो मुसलमान उसमें मरे वह शहीद हुआ और जो उससे भागे वह काफ़िरों को पीठ देकर भागने वाले की मानिंद हो।

मोजम ए औसत की रिवायत यूँ है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

الطاعون شهادة لامتی و وخز اعدائکم من الجن غدة کغدة البعیر تخرج فی الاباط و المراق من مات فیه مات شهیدا و من اقام فیه کان کالمرابط فی سبیل الله و من فر منه کان کالفار من الزحف۔

ताऊन मेरी उम्मत के लिए शहादत है और वह तुम्हारे दुश्मन जिनों का कूँचा है, ऊंट के ग़ुदूद की तरह गिल्टी है कि बग़लों और नरम जगहों में निकलती है, जो उसमें मरे वह शहीद मरे और जो ठहरे वह राह ए ख़ुदा में सरहद ए कुफ़्फ़ार पर ब इंतज़ार ए जिहाद इक़ामत करने वाले की मानिंद है और जो उससे भाग जाए जिहाद से भाग जाने की मिस्ल हो।

अक़ूल :

शहर वग़ैरह की कुछ क़ैद नहीं

अव्वलन : इन तमाम अलफ़ाज़ ए हदीस में सिर्फ़ ताऊन से भागने पर वईद ए शदीद और सब्र किए ठहरे रहने की तरग़ीब व ताकीद है, शहर या मुहल्ले या हवाली ए शहर वग़ैरह की कुछ क़ैद नहीं तो जो नक़ल व हरकत ताऊन से भागने के लिए होगी अगरचे शहर ही के मुहल्लों में वह बिला शुबह वईद व तहदीद के नीचे दाख़िल है।

सानियन :

हदीस उम्मुल मोमिनीन रदि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी सहीह बुख़ारी शरीफ़, मुसनद इमाम अहमद रहमहु उल्लाहि तआला में ब सनद ए सहीह बर शर्ते बुख़ारी व मुस्लिम ब रिजाल ए बुख़ारी, जिल्द शशुम आख़िर सफ़हा 251 व अव्वल 252 में यूँ है:

حدثنا عبد الصمد ثنا داؤد یعنی ابن ابی الفرات ثنا عبد الله بن بریدة[1] عن یحیی بن یعمر عن عائشة رضی الله تعالی عنها انها قالت سألت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن الطاعون فاخبرنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم انه کان عذابا یبعثه الله تعالی علی من یشاء فجعله رحمة للمؤمنین فلیس من رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیته صابراً محتسباً یعلم انه لا یصیبه الا

यानी रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ताऊन एक अज़ाब था कि अल्लाह तआला जिस पर चाहता भेजता और इस उम्मत के लिए उसे रहमत कर दिया है तो जो शख़्स ज़माना ए ताऊन में अपने घर में सबर किए तलब ए सवाब के लिए इस ऐतिक़ाद के साथ ठहरा रहे कि उसे वही पहुंचेगा जो ख़ुदा ने लिख दिया है, उसके लिए शहीद का सवाब है। इस हदीस ए सहीह में ख़ास अपने घर में ठहरे रहने की तसरीह है।

ما کتب الله له الا کان له مثل اجر الشهید۔

सालिसन :

ज़रा ग़ौर कीजिए तो इस हदीस और हदीस ए बुख़ारी में असलन इख़्तिलाफ़ नहीं। सहीह बुख़ारी, किताबुत तिब के लफ़्ज़ यह हैं,

لیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا۔

और ज़िक्र ए बनी इसराईल में:

لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا۔

और बदाहतन मालूम है कि मुतलक़न रू ए ज़मीन में से किसी जगह वुक़ूअ ए ताऊन मुराद नहीं तो हदीस ए बुख़ारी में फ़ी बलदिहि और हदीस ए अहमद में फ़ी बैतिहि बर सबील ए तनाज़ुअ यमकुसु व यक़उ दोनों से मुतअल्लिक़ है। इमाम ऐनी उमदतुल क़ारी शरह ए सहीहुल बुख़ारी में फ़रमाते हैं,

قوله فی بلدہ مما تنازع الفعلان فیه اعنی قوله یقع و قوله فیمکث۔

तो दोनों रिवायतों का मतलब यह हुआ कि जिसके शहर में ताऊन वाक़ेअ हो वह शहर से न भागे और जिसके ख़ुद घर में वाक़ेअ हो वह अपने घर से न भागे और हासिल इस तरफ़ रुजू कर गया कि ताऊन से न भागे, शहर या घर से न भागना लिज़ातिहि ममनूअ नहीं अगर कोई ज़ालिम जाबिर शहर में ज़ुल्मन उसकी गिरफ़्तारी को आया और यह उससे बचने को शहर से भाग गया हरगिज़ मुवाख़ज़ा नहीं अगरचे ज़माना ए ताऊन ही का हो कि यह भागना ताऊन से न था बल्कि ज़ुल्म ए ज़ालिम से। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल नियत को जानता है व लिहाज़ा हदीस ए अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु में इरशाद हुआ:

اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔

और हदीस ए उसामा इब्न ए ज़ैद रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत ताम्मा शेख़ैन में इसके मिस्ल और रिवायत ए मुस्लिम में यूँ आई,

فلا تخرجوا فرارا منه۔

ला जरम शरह ए सहीह मुस्लिम में है,

اتفقوا علی جواز الخروج بشغل و غرض غیر الفرار و دلیله صریح الاحادیث۔

इसी तरह हदीक़ा नदीया में नक़्ल फ़रमाया और मुक़र्रर रखा। और जब मुतमह ए नज़र फ़िरार अनित ताऊन ने यह कि अनिल बलद तो यह बहस कि फ़ना ए शहर भी मिस्ल जुमुआह इस हुक्म में दाख़िल है या मिस्ल सफ़र ए ख़ारिज, महज़ ताऊन से भागने के लिए जो नक़्ल व हरकत हो सब ज़ेर ए नही है अगरचे मुज़ाफ़ात ख़्वाह फ़ना ख़्वाह शहर की शहर में।

राबियन :

नज़र किजिए तो ख़ुद यही हदीस फ़यमकुसु फ़ी बलदिहि मुहल्लात ए शहर ही में तजवीज़ ए फ़िरार से सरीह इबा फ़रमा रही है, इसमें फ़क़त इतना ही न फ़रमाया कि शहर में रहे बल्कि साफ़ इरशाद हुआ,

يمكث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ماکتب اللہ لہ۔

तीन वस्फ़ों के साथ

अपने शहर में तीन वस्फ़ों के साथ ठहरे।

अव्वल : सब्र व इसतिक़लाल।

दुवम : तसलीम व तफ़वीज़ व रज़ा बिलक़ज़ा पर तलब ए सवाब।

सुवम : यह सच्चा ऐतिक़ाद कि बे तक़दीर ए इलाही कोई बला नहीं पहुंच सकती। अब उसके हाल को अंदाज़ा कीजिए जिसके शहर के एक किनारे में ताऊन वाक़ेअ हो और वह उसके ख़ौफ़ से घर छोड़कर दूसरे किनारे को भाग गया, क्या उसे साबित क़दम व साबिर व मुस्तक़िल व राज़ी बिलक़ज़ा कहा जाएगा। वह ऐसा होता तो क्यों भागता शहर में उसका क़याम सब्र व रज़ा के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि यह किनारा ए शहर हुनूज़ महफ़ूज़ है, कल अगर यहाँ भी ताऊन आया तो उसे यहाँ से भी भागते देख लेना, अगर अब बैरून ए शहर जाकर पड़ा और वहाँ भी वबा पहुंची तो मुज़ाफ़ात को भी छोड़कर दूसरी ही बस्ती में दम लेगा फिर साबिरन मुहतसिबन कहाँ सादिक़ आया।

ख़ामिसन : सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़िरार अनित ताऊन को जिसका मुमासिल फ़रमाया यानी जिहाद से भागना उसी के मुलाहज़ा से मालूम हो सकता है कि शहर छोड़कर दूसरे शहर को चले जाने ही पर फ़िरार महसूर नहीं। क्या अगर इमाम ए मुसलमान बैरून ए शहर जिहाद कर रहा हो और कुछ लोग मुक़ाबला से भाग कर अपने घरों में जा बैठें तो फ़िरार न होगा। ज़रूर होगा बल्कि घरों में जा बैठना दरकिनार अगर मा'रिका से भाग कर उसी मैदान के किसी पहाड़ या ग़ार में जा छुपे ज़रुर आर ए फ़िरार नक़द ए वक़्त होगी कि मैदान कारज़ार तो हर तरह छोड़ा और मुक़ाबला ए कुफ़्फ़ार से मुंह मोड़ा। नस ए क़ुरआनी इस पर दलील ए सरीह है।

قال اللہ عزوجل اِنَّ الَّذِیۡنَ تَوَلَّوۡا مِنۡکُمۡ یَوۡمَ الۡتَقَی الۡجَمۡعٰنِ اِنَّمَا اسۡتَزَلَّہُمُ الشَّیۡطٰنُ بِبَعۡضِ مَاکَسَبُوۡا وَ لَقَدۡ عَفَا اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ حَلِیۡمٌ ــ و قال جل من قائل وَ لَقَدۡ عَفَا عَنۡکُمۡ وَ اللّٰہُ ذُوۡ فَضۡلٍ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ــ اِذۡ تُصۡعِدُوۡنَ وَ لَا تَلۡوٗنَ عَلٰۤی اَحَدٍ وَّ الرَّسُوۡلُ یَدۡعُوۡکُمۡ فِیۡۤ اُخۡرٰىکُمۡ فَاَثَابَکُمۡ غَمًّا بِغَمٍّ الآیۃ۔

मआलिम में है,

قرا ابو عبد الرحمن السلمی و قتادۃ تصعدون بفتح التاء و العین و القراءۃ المعروفۃ بضم التاء وکسر العین و الاصعاد السیر فی الارض و الصعود الارتفاع علی الجبال و السطوح و کلتا القراءتین صواب فقد کان یومئذ من المنہزمین مصعد و صاعد اھ باختصار۔

सादिसन : जिन हिकमतों की बिना पर हकीम करीम रऊफ़ रहीम अलैहि व अला आलिहिस सलातो वत तसलीम ने ताऊन से फ़िरार हराम फ़रमाया उनमें एक हिकमत यह है कि अगर तंदुरुस्त भाग जाएंगे बीमार ज़ाए रह जाएंगे, उनका कोई तीमारदार होगा न ख़बरगीरां फिर जो मरेंगे उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन कौन करेगा जिस तरह ख़ुद आजकल हमारे शहर और गिर्द व नवाह के हुनूद में मशहूर हो रहा है कि औलाद को माँ बाप, माँ बाप को औलाद ने छोड़कर अपना रस्ता लिया, बड़ों-बड़ों की लाशें मज़दूरों ने ठेले पर डालकर जहन्नम पहुंचाई, अगर शरअ मुतहिर मुसलमानों को भी भागने का हुक्म देती तो मआज़ अल्लाह यही बेबसी, बेकसी उनके मरीज़ों, मय्यतों को भी घेरती जिसे शरअ क़त्अन हराम फ़रमाती है। इरशादुस सारी शरह ए सहीह बुख़ारी में है:

(لا تخرجوا فرارا منه) فانه فرار من القدر و لئلا تضيع المرضى لعدم من يتعهدهم و الموتى لعدم من يجهز۔

इसी तरह ज़रक़ानी शरह ए अली मुअत्ता में है, ऐनी शरह ए बुख़ारी में भी इसे नक़ल करके मुक़र्रर रखा। ज़ाहिर यह है कि इल्लत जिस तरह ग़ैर शहर को भाग जाने में है यूँही बैरून ए शहर जा पड़ने बल्कि मुहल्ला ए मरीज़ान छोड़कर मुहल्ला ए सहीहान में जा बसने में भी, तो हक़ यह है कि ब नियत ए फ़िरार मुतलक़न नक़ल व हरकत हराम है नीज़ यह इल्लत मूजिब है कि न सिर्फ़ ताऊन बल्कि हर वबा का यही हुक्म है। व लिहाज़ा शेख़ ए मुहक़्क़िक़ रहमहु उल्लाहि तआला ने अशिअतुल लम्आत शरह ए मिश्कात में फ़रमाया,

انچہ در احادیث مذکور شدہ و بر گریختن ازاں و بیرون رفتن از شہرے کہ واقع شدہ اشد دراں نہی کردہ و وعید نمودہ و تشبیہہ بفرار از زحف دادہ بر صبر براں بشہادت حکم کردہ مراد وبا و موت عام و مرض عام ست و مخصوص بانچہ اطبا تعیین نمودہ اند نیست و لہذا در احادیث بہ لفظ وبا و موت عام مذکور شدہ و اگرچہ بلفظ طاعون نیز واقع شدہ اما مراد معنی وباست و غلط کردہ کہ طاعون را بر مصطلح اطباء حمل کردہ و در غیر آں فرار مباح داشتہ و اگر فرضا بر ہمیں معنی محمول باشد فردے از وبا خواہد بود نہ مخصوص باآں و ایں قائل آں احادیث راکہ دروے لفظ وبا و موت عام واقع شدہ چہ خواہد گفت نسأل الله العافية۔

फ़ायदा :

इमाम अहमद मुसनद और इब्न ए साद तबक़ात में अबू असीब रदि अल्लाहु तआला अन्हु से ब सनद ए सहीह रिवायत करते हैं, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

اتانی جبرئیل بالحمی و الطاعون فامسکت الحمی بالمدینة و ارسلت الطاعون الی الشام فالطاعون شهادة لامتی و رحمة لهم و رجس علی الکافرین۔

मेरे पास जिबरील अमीन अलैहिस सलातो वत तसलीम बुख़ार और ताऊन लेकर हाज़िर हुए, मैंने बुख़ार मदीना तैय्यबा में रहने दिया और ताऊन मुल्क ए शाम को भेज दिया तो ताऊन मेरी उम्मत के लिए शहादत व रहमत और काफ़िरों पर अज़ाब व निक़मत है। सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु को मालूम था कि ताऊन को मुल्क ए शाम का हुक्म हुआ है और बिलाद ए शाम फ़तह करने थे लिहाज़ा सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु जो लश्कर मुल्क ए शाम को रवाना फ़रमाते उससे दोनों बातों पर यकसाँ बैअत व अहद व पैमान लेते, एक यह कि दुश्मन के नेज़ो से न भागना, दूसरे यह कि ताऊन से न भागना।

इमाम मुसद्दद उस्ताज़ इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अपनी मुसनद में अबुस सफ़र से रिवायत करते हैं,

قال کان ابوبکر رضی الله تعالی عنه اذا بعث الی الشام بایعهم علی الطعن و الطاعون۔

यहाँ से ख़ूब साबित व ज़ाहिर हुआ कि मुसलमान को फ़िरार अनित ताऊन की तरग़ीब देने वाला उनका ख़ैर ख़वाह नहीं बद ख़वाह है और तबीबों डाक्टरों का इसमें सब्र व इसतिक़लाल से मना करना ख़ैर व सलाह के ख़िलाफ़ बातिल राह है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे जहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा और मुसलमानों पर बित तख़्सीस रऊफ़ रहीम बनाया और सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु के लिए,

ارحم امتی بامتی ابوبکر۔

हदीस में आया यानी जो राफ़्त व रहमत मेरी उम्मत के हाल पर अबू बक्र को है उतनी तमाम उम्मत में किसी को नहीं। अगर ताऊन से भागने में भलाई और ठहरने में बुराई होती तो रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अपनी उम्मत पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान हैं क्यों ठहरने की तरग़ीब देते और भागने से इस क़दर ताकीद ए शदीद के साथ मना फ़रमाते और सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु कि तमाम उम्मत में सबसे बढ़कर ख़ैर ख़वाह ए उम्मत हैं क्यों उससे न भागने का अहद व पैमान लेते। मालूम हुआ कि ताऊन से भागने की तरग़ीब देने वाले ही हक़ीक़तन उम्मत के बद ख़वाह और उल्टी मत समझाने वाले हैं।

والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

जैसे कोई बद अक़्ल, बे तमीज़, कज फ़हम औरत पढ़ने की मेहनत, उस्ताज़ की शिद्दत देखकर अपने बच्चे को मकतब से भाग आने की तरग़ीब दे, वह अपने ख़याल ए बातिल में इसे महब्बत समझती है हालांकि सरीह दुश्मनी है,

ع دوستی بیخرداں دشمنی ست۔

बदनसीब वह बच्चा कि उसके कहने में आ जाए और मेहरबान बाप की ताकीद व तहदीद ख़याल में न लाए बल्कि इंसाफ़न यह हालत इस मिसाल से भी बदतर है मकतब में पढ़ने की मेहनत सभी पर होती है और शिद्दत भी ग़ालिब व अक्सरी है और जहाँ ताऊन फूटे वहाँ सब या अक्सर का मुब्तला होना कुछ ज़रुर नहीं बल्कि बि इज़्निहि तआला महफ़ूज़ ही रहने वालों का शुमार ज़ाइद होता है व लिहाज़ा आग और ज़लज़ले पर उसका क़यास बातिल,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّھْلُکَۃِ۔

के नीचे समझना महज़ वसवसा है कि उनमें हलाक ग़ालिब है जैसा कि कलाम हज़रत ए शेख़ ए मुहक़्क़िक़ क़ुद्दिसा सिर्रुहु से गुज़रा और सच्चा हलाक तो यह है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद ए अक़दस को कि ऐन रहमत व ख़ैर ख़वाही ए उम्मत है मआज़ अल्लाह मुज़र्रत रसां ख़याल किया जाए और उसके मुक़ाबिल तबीबों और डाक्टरों की बात को अपनी लिए नाफ़े समझा जाए।

ع ببیں کہ از کہ بریدی وبا کہ پیوستی

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

व लिहाज़ा सलफ़ सालेह का दाब यही रहा कि ताऊन में सब्र व इसतिक़लाल से काम लेते। इमाम अबू उमर अब्दुल बर फ़रमाते हैं,

لم یبلغنی عن احد من حملۃ العلم انہ فر منہ الا ما ذکر المدائنی ان علی بن زید بن جدعان ھرب منہ الی السیالۃ فکان یجمع کل جمعۃ ویرجع اذا جمع صاحوا بہ فر من الطاعون فطعن فمات بالسیالۃ۔

यानी मुझे किसी की निस्बत यह रिवायत न पहुंची कि वह ताऊन से भागा हो मगर वह जो मदाइनी ने ज़िक्र किया कि अली इब्न ए ज़ैद जदआन ताऊन में शहर से भाग कर सियाला को चले गए थे, हर जुमुआह को शहर में आकर नमाज़ पढ़ते और पलट जाते, जब पलटते लोग शोर मचाते ताऊन से भागा है और आख़िर सियाला में ताऊन ही में मुब्तला होकर मरे। यह अली इब्न ए ज़ैद कुछ ऐसे मुस्तनद उलमा से न थे। इमाम सुफ़यान इब्न ए उयैनह व इमाम हम्माद इब्न ए ज़ैद व इमाम

अहमद इब्न ए हम्बल व इमाम याहया इब्न ए मुईन व इमाम बुख़ारी व इमाम अबू हातिम व इमाम इब्न ए ख़ुज़ैमा व इमाम अजली व इमाम दार क़ुतनी वग़ैरहुम आम्मा अइम्मा ए जरह व तादील ने उनकी तज़ईफ़ की। और मज़हब के भी कुछ ठीक न थे, इजली ने कहा शिया था बल्कि इमाम यज़ीद इब्न ए ज़रीअ से मरवी हुआ राफ़ज़ी था। फिर उसका यह फ़ेल ज़माना ए सलामत ए अक़्ल व सेहत ए हवास का भी न था, आख़िर में अक़्ल सहीह न रही थी, इमाम शुअबा इब्नुल हज्जाज ने फ़रमाया:

حدثنا علی قبل ان یختلط

क़ुस्वा ने कहा,

اختلط فی کبرہ

फिर हर जुमुआह को नमाज़ के लिए शहर यानी बसरा में आना और नमाज़ पढ़कर पलट जाना दलील ए वाज़ेह है कि सियाला कोई ऐसी क़रीब जगह बसरा से थी। अली इब्न ए ज़ैद का इंतिक़ाल 131 हिजरी में है, वह ज़माना ताबाईन का था तो साबित हुआ कि मुज़ाफ़ात ए शहर में चला जाना भी इसी फ़िरार ए हराम में दाख़िल है जिस पर यह शख़्स तमाम शहर में मतऊन व अंगुश्त नुमा हुआ, हर जुमुआह को उसके पलटते वक़्त अहले शहर में कि ताबाईन व तबअ ए ताबाईन ही थे, ग़ुल पड़ जाता कि वह ताऊन से भागा।

والعیاذ باللہ تعالی

तन्बीह नबीह :

जिस तरह ताऊन से भागना हराम है और उसके लिए वहाँ जाना भी नाजाइज़ व गुनाह है, अहादीस ए सरीहा में दोनों से मुमानअत फ़रमाई, पहले में तक़दीर ए इलाही से भागना है तो दूसरे में बला ए इलाही से मुक़ाबला करना है और इसके लिए इज़हार ए तवक्कुल का उज़्र महज़ सफ़ाहत। तवक्कुल मुआरिज़ा ए असबाब का नाम नहीं, इमाम अजल्ल इब्न ए दक़ीक़ुल ईद रहमहु उल्लाहि तआला फ़रमाते हैं:

الاقدام علیہ تعرض للبلاء و لعلہ لا یصبر علیہ و ربما کان فیہ ضرب من الدعوی لمقام الصبر او التوکل فمنع ذلک لاغترار النفس و دعوھا ما لا تثبت علیہ عند التحقیق۔

इस क़दर की मुमानअत में हरगिज़ गुंजाइश ए सुख़न नहीं, अब रहा यह कि जब ताऊन से भागने या उसके मुक़ाबले की नियत न हो तो शहर ए ताऊनी से निकलना या दूसरी जगह से उसमें जाना फ़ी नफ़्सिही कैसा है। इसमें हमारे उलमा की तहक़ीक़ यह है बजाए ख़ुद हराम नहीं मगर नज़रिया ए पेश बीनी यहां दो सूरतें हैं, एक यह कि इंसान कामिलुल ईमान है,

لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا۔

की बशाशत व नूरानियत उसके दिल के अंदर सरायत किए हुए है अगर ताऊनी शहर में किसी काम को जाए और मुब्तला हो जाए तो उसे यह पशेमानी आरिज़ न होगी कि नाहक़ आया कि बला ने ले लिया या किसी काम को बाहर जाए तो यह ख़याल न करेगा कि ख़ूब हुआ कि उस बला से निकल आया, ख़ुलासा यह कि उसका आना जाना बिल्कुल ऐसा हो जैसा ताऊन न होने के ज़माना में होता है तो उसे ख़ालिस इजाज़त है अपने कामों को आए जाए जो चाहे करे कि न फ़िलहाल नियत ए फ़ासिदा है न आइंदा फ़साद ए फ़िक्र का अंदेशा है और जो ऐसा न हो उसे मकरूह है कि अगरचे फ़िलहाल नियत ए फ़ासिदा नहीं कि हुक्म ए हुरमत हो मगर आइंदा फ़साद पैदा होने का अंदेशा है लिहाज़ा कराहत है। वह

हदीसें जिनमें ख़ुद शहर ए ताऊनी से निकलने और उसमें जाने की मुमानअत मरवी हुई जैसे एक रिवायत हदीस ए उसामा रदि अल्लाहु तआला अन्हु के अलफ़ाज़,

اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا منها رواہ الشیخان۔

या एक रिवायत हदीस ए अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु के लफ़्ज़,

فاذا سمعتم بہ فی ارض فلا تدخلوها رواہ الطبرانی فی الکبیر۔

या हदीस ए इकरमा इब्न ए ख़ालिद मख़ज़ूमी अन अबिहि व अम्मिहि अन जद्दिहि रदि अल्लाहु तआला अन्हु,

اذا وقع الطاعون فی ارض و انتم بها فلا تخرجوا منها و ان کنتم بغیرها فلا تقدموا علیها رواہ احمد و الطحاوی و الطبرانی و البغوی و ابن قانع۔

यह अगर अपने इतलाक़ पर रखी जाएं यानी नियत ए फ़िरार व मुक़ाबला से मुक़ैय्यद न की जाएं,

بناء علی ما حقق الامام ابن الهمام ان المطلق لا یحمل علی المقید و ان اتحد الحکم و الحادثة ما لم تدع الیه ضرورة کما فی الفتح۔

तो उनका महल यही सूरत ए कराहत है जो अभी मज़कूर हुई और इतलाक़ इस बिना पर कि अक्सर लोग इसी क़िस्म के होते हैं और अहकाम की बिना कसीर व ग़ालिब पर है। दुर्रे मुख़्तार में है,

اذا خرج من بلدة بها الطاعون فان علم ان کل شیئ بقدر الله تعالی فلا بأس بان یخرج و یدخل و ان کان عنده انه لو خرج نجا و لو دخل ابتلی به کره له ذلك فلا یدخل و لا یخرج صیانة لاعتقاده و علیه حمل النهی فی الحدیث الشریف مجمع الفتاوی اه۔

इसी तरह फ़तावा ज़हीरीया में है,

و تمام تحقیقه فی ما علقناه علی رد المحتار و الله تعالی اعلم۔

تمت بالخیر

हिंदी में हमारी दूसरी किताबें

(1) बहारे तह़रीर - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल (अब तक चौदह हिस्से)
(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(4) इश्क़े मजाज़ी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(6) शबे मेराज गौसे पाक - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक़िया - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(10) ग़ैरे सहाबा मे रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) - कनीज़े अख़्तर
(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहकी़क़ - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा
(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(18) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुह़म्मद अहमद मिस्बाही
(20) इस्लामी तअ़लीम (हिस़्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी
(21) मुहर्रम में निकाह - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(22) रिवायतों की तहकी़क़ (पहला हिस्सा) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(23) रिवायतों की तहकी़क़ (दूसरा हिस्सा) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(25) एक निकाह ऐसा भी - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(26) काफ़िर से सूद - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(27) मैं खान तू अंसारी - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(28) रिवायतों की तहकी़क़ (तीसरा हिस्सा) - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(29) जुर्माना - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(30) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा
(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(38) क़ुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी
(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी
(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान
(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी
(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी
(43) तह़कीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी
(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अब्दे मुस्तफ़ा
(45) मंसूर हल्लाज - अब्दे मुस्तफ़ा
(46) फ़र्ज़ी क़ब्रें - अब्दे मुस्तफ़ा
(47) इमाम अबू यूसुफ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(48) इमाम क़ुरैशी होगा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला
(49) हिन्दुस्तान दारुल ह़रब या दरुल इस्लाम? - ‌अ़ब्दे मुस्तफ़ा

Notes

[← 1]

: وقع ههنا فی نسخة المسند المطبوعة ابن ابی بریدہ و الصواب ابن بریدة کما ذکرنا ۱۲ منه ۔